2917 | 1 2023

Sunil Kumar Paralia
Bank Advocate
Reg No. MP 3515/03/U.K.22/2010
C No 9 Tehsil Bhagwanpur

विक्रय पत्र (ग्रामीण)

उक्त सम्पत्ति लघु एवं सुक्ष्म उद्योग सम्पत्ति होने के कारण क्रेतागण शासनादेश संख्या 2015/XXVII(8) /यू0ओ0-05/स्टाम्प/2015 देहरादून दिनांक 29.10.2015 के द्वारा स्टाम्प शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त कर रहा है

बैनामा:- **9,50,000/- रूपये** सर्किल दर से मालियत:- **1,03,22,000/- रूपयें**

स्टाम्प शुल्क:- **2,58,500/- रूपये** इकरारनामे मे अदा स्टाम्प शुल्क:- **19,000/- रू0**

वर्तमान मे दिया गया स्टाम्प शुल्क:- **2,40,000/- रूपयें** स्टाम्प शीटो की संख्या:-

विक्रय सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल:- **3691 वर्गमीटर अर्थात 0.3691 हैक्टेयर**

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण:- **औद्योगिक खाली भूमि मय बाउन्ड्रीवाल**

(कृषि/आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक और सम्पत्ति यदि भवन है तो निर्माण का वर्ष और निर्माण है तो)

कवर्ड एरिया (यदि निर्माण हो तो) :- **नही है।**

स्थित ग्राम/मौजा:- **मौजा सिरचंदी परगना व तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार।**

(मौजा या मौहल्ला, परगना, तहसील नगरीय अर्द्धनगरीय आदि), ग्रामीण

विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से सम्बन्धित है अथवा नही:- **विक्रेता व क्रेता दोनो सामान्य जाति से है।**

विक्रेता का स्वामित्व का आधार:- **संक्रमणीय भूमिधर**

चकबन्दी चल रही अथवा नही:- **चल रही है।**

भूमि पटटे आदि की है अथवा नही:- **नही।**

कृर्षि भूमि की स्थिति मे:- **नही।**

(बाग, पेड, सिंचित/असिंचित अथवा सर्किल दर सूची की श्रेणी के अनुसार सिंचित अथवा असिंचित)

रेट लिस्ट मे पृष्ट संख्या व कालम संख्या:- **पृष्ठ सं0- 6 कालम सं0- 2- ख-13(5) पर सर्किल रेट - 2600/- रूपये प्रति वर्गमीटर, परन्तु उक्त सम्पत्ति पर रास्ता 5 मीटर से अधिक तथा 12 मीटर से कम चौडा होने के कारण सर्किल रेट 2730/- रूपये प्रति वर्गमीटर से मालियत 10076430/- रूपये व तथा उक्त सम्पत्ति मे 245.121 रनिंग मीटर बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है जिसकी प्रति रनिंग मीटर 1,000/- रूपये से मालियत 2,45,121/- रूपये है इस प्रकार कुल मालियत 1,03,21,551/- रूपये होती है।**

मुख्य सडक से दूरी:- **राष्ट्रीय राजमार्ग रूडकी- देहरादून मार्ग से 4 किलोमीटर से अधिक दूरी पर तथा सर्किल रेट लिस्ट मे उल्लेखित अन्य प्रमुख मार्ग से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।**

क्या क्रेता दिनांक 12.09.2003 से पूर्व का उत्तराखण्ड का कृषक है अथवा नही:- **क्रेता उत्तराखण्ड राज्य से बाहर के व्यक्ति है इसलिए क्रेता महोदय ने न्यायालय/कार्यालय श्रीमान कलेक्टर महोदय हरिद्वार के यहां से पत्रांक संख्या 118/भूमि क्रय अनुमति 2023 धारा 154(4)(3)(क) ज0वि0अधि0 एवं भू-व्यवस्था अधिनियम दिनांकित 31.03.2023 प्राप्त की हुई है जो कि संलग्न है।**

गवाहो की शिनाख्त पर फोटो एवं अंगूली चिन्ह प्रमाणितकर्ता:- **श्री सुनील कुमार परालिया एडवोकेट भगवानपुर**

Nephron Pharmaceuticals Private Limited
DIRECTOR

विक्रेता का नाम व पताः- **श्रीमती सिदरा जावेद पुत्री श्री जावेद इकबाल पत्नी श्री माजिद अली खान निवासी सिविल लाईन रूडकी तहसील रूडकी जिला हरिद्वार आधार कार्ड सं0 – 9343 5003 2442 मो0- 7817064664**

विदित हो कि प्रतिज्ञ (विक्रेता) निम्नलिखित सम्पत्ति का स्वामी व अधिकारी हैं जो इस समय तक हर प्रकार के भार तथा प्रतिबन्ध से मुक्त है किसी प्रकार के हस्तांतरण तथा बन्धक आदि नही है और कोई ऋण आदि किसी महकमें, बैंक सोसायटी आदि से या व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित सम्पत्ति को बन्धक करके लिया हुआ नही है और निम्नलिखित सम्पत्ति को विक्रय व हस्तांतरित करने में प्रतिज्ञ पूर्ण रूप से सक्षम है। अतः प्रतिज्ञ अपनी मन बुद्धि तथा इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में बिना किसी जोर व दबाव के स्वतन्त्र सहमति से निम्नलिखित सम्पत्ति को बदले मु0 **9,50,000/- नौ लाख पचास हजार रूपये** में क्रेता हाथ **NEPHORN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED (PAN – AAHCN8912G) खसरा नं0 102 प्लाट नं0 03 ग्राम रानीवाला कारनपुर परगना परवादून पोस्ट राजपुर देहरादून जिला देहरादूनद्ध द्वारा डायरेक्टर श्री शादाब अंसारी पुत्र श्री नसीरूद्दीन अंसारी निवासी अयोध्या पूरम कॉलोनी टावर के पास माहीपुरा सहारनपुर तहसील व जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश आधार कार्ड सं0 – 2315 0965 6844मो0 नं0- 7817064664** को विक्रय व हस्तांतरित कर दी है तथा कुल मूल्यराशि की प्राप्ति का ब्यौरा निम्नलिखित है तत्पश्चात इसके कोई मूल्यराशि क्रेता के जिम्मे शेष नही रही और न ही भविष्य में होगी। कब्जा व दखल क्रेता महोदय का बखूबी वाकई मौके पर करा दिया है

Sunil Kumar Paralia
Bank Advocate
Regd No. VP 3515/03/U.K.22/2010
Tehsil Bhagwanpur

Sunil Kumar Paralia
Bank Advocate
Regd No. VP 3515/03/U.K.22/2010
Tehsil Bhagwanpur

Nephron Pharmaceuticals Private Limited
DIRECTOR

सत्यपाल स्टाम्प विक्रेता
ला०न० 1 B/2015
भगवानपुर (हरिद्वार)

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

₹2,40,000

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK48708114654272V
Certificate Issued Date	:	25-Apr-2023 01:48 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1235304/ ROORKEE/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK123530403482121017351V
Purchased by	:	NEPHORN PHARMACEUTICALS PVT LTD DIR SHADAB ANSARI
Description of Document	:	Article 23 Conveyance
Property Description	:	VILL SIRCHANDI PRAGANA AND TEHSIL BHAGWANPUR
Consideration Price (Rs.)	:	1,03,22,000 (One Crore Three Lakh Twenty Two Thousand only)
First Party	:	SMT SIDRA JAVED
Second Party	:	NEPHORN PHARMACEUTICALS PVT LTD DIR SHADAB ANSARI
Stamp Duty Paid By	:	NEPHORN PHARMACEUTICALS PVT LTD DIR SHADAB ANSARI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	2,40,000 (Two Lakh Forty Thousand only)

सत्यमेव जयते

VERIFIED

LOCKED

₹2,40,000

IN-UK48708114654272V

Please write or type below this line

3

और अपना कब्जा हर प्रकार से हटा लिया है। अब प्रतिज्ञ वचन देता और प्रतिज्ञा करता कि क्रेता महोदय सदैव निम्नलिखित सम्पत्ति पर अपना समस्त अधिकार व स्वामित्व सहित

Nephorn Pharmaceuticals Private Limited
DIRECTOR

Shadab Ansari

Sidra

PU 0006540620

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

कब्जा करके लाभ हर प्रकार का प्राप्त करें। हर प्रकार से अपने भोग व प्रयोग में लावे और जो चाहे सो करें अब प्रतिज्ञ तथा उसके उत्तराधिकारी को विक्रय की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति तथा उसकी मूल्यराशि से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नही रहा और न ही भविष्य में होगा। यदि बाद में किसी नुक्स कानूनी के कारण या किसी वाद विवाद करने पर निम्न सम्पत्ति का कुल या अंश कब्जा या दखल क्रेता उक्त से निकल जाये क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपनी कुल या अंश कब्जा मेरी जात खास जायदाद से वसूल कर लेवे। इसमें मुझ प्रतिज्ञ या मेरे वारसान को कोई उजर नही होगा। नीज प्रतिज्ञ उन जुमला कानूनी जिम्मेदारी जो बरूये एक प्रतिज्ञ पर आयद होती है, का पूरा- पूरा पाबन्द व जिम्मेदार होगा व रहेगा।

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है ताकि सनद रहे और समय पर जरूरत काम आवे।

विवरण सम्पत्ति जो विक्रय की गयी है:- एक किता औद्योगिक खाली भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 3691 वर्गमीटर अर्थात 0.3691 हैक्टेयर मुतालिका जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 भाग 1 के अनुसार भूमि चक सं0- 165 के प्रस्तावित गाटा नम्बर 754 रकबई 0.2461 हैक्टेयर अर्थात 2461 वर्गमीटर अर्थात अपना कुल हक व हिस्सा व भूमि चक सं0 - 82 के प्रस्तावित गाटा नम्बर 754 कुल रकबई 0.4923 हैक्टेयर भूमि मे से अपना कुल हक व हिस्सा यानि रकबई 0.1230 हैक्टेयर अर्थात 1230 वर्गमीटर, इस प्रकार कुल विक्रती भूमि 0.3691 हैक्टेयर अर्थात 3691 वर्गमीटर, जिसके हदूद पूरब में खेत अय्यूब व पश्चिम मे खेत मौलवी व अय्यूब व उत्तर में खेत मन्नान व दक्षिण में रास्ता 25 फुट चौडा है स्थित मौजा ग्राम **सिरचन्दी** परगना व तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार, मय जुमला हक हकुक मुतालिका उसके। जिसमे 245.121 रनिंग मीटर बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है। उक्त भूमि का अनुबन्ध पक्षो के मध्य दिनांक 19.01.2022 मे हुआ है जिसकी रजि0 बही नं0 01 जिल्द 2398 के पृष्ठ 315 से 336 पर दस्तावेज नं0 458 पर दिनांकित 19.01.2022 मे सब रजि0 कार्यालय रूडकी तृतीय मे दर्ज है। कब्जा व दखल मौके पर विक्रेता ने क्रेता महोदय का अपने समान करा दिया है। विक्रेता का उक्त खसरा नम्बरान मे कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है। दाखिल खारिज कराने में विक्रेता, क्रेता महोदय का पूरा-पूरा सहयोग देगा व करेगा। विक्रेता व क्रेता एक दूसरे से परिचित है तथा क्रेता व विक्रेता के बताये एंव उपलब्ध कराये गये कागजात के आधार पर बैनामा हाजा ड्राफ्ट किया गया है। विक्रीत प्लाट का फोटो विक्रय पत्र के साथ संलग्न है। उक्त सम्पत्ति का अक्षांतर **29.934276** व सम्पत्ति का देशान्तर **77.765923** है।

Nephron Pharmaceuticals Private Limited
DIRECTOR

विवरण मूल्यराशि भुगतानः- कुल मूल्यराशि अंकन 9,50,000/- नौ लाख पचास रूपये में से अंकन 1,00,000/- एक लाख रूपये विक्रेता महोदय ने क्रेता महोदय से समय इकरारनामा प्राप्त किये हुए है तथा शेष अंकन 8,50,000/- आठ लाख पचास हजार रूपये मे से 7,00,000/- रूपये विक्रेता महोदया ने क्रेता महोदय से पूर्व मे ही जुदागाना रूप मे प्राप्त किये हुए है व अंकन 1,50,000/- एक लाख पचास हजार रूपये विक्रेता महोदया ने क्रेता महोदय से आज बर वक्त रजिस्ट्री बैनामा नकद प्राप्त कर लियें है। बाद होने रजि0 बैनामा विक्रेता महोदया की कोई धनराशि बजिम्मे क्रेता महोदय शेष नही रहेगी।

विक्रेता के बाये हाथ की अंगुलियों के निशानः-

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दायें हाथ की अंगुलियों के निशानः-

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

क्रेता के बाये हाथ की अंगुलियों के निशानः-

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

दायें हाथ की अंगुलियों के निशानः-

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

Nephron Pharmaceuticals Private Limited
DIRECTOR

oogle Maps 29°56'03.4"N 77°45'57.3"E

Imagery ©2023 Maxar Technologies, Imagery ©2023 CNES / Airbus, Maxar Technologies, Map data ©2023 20 m

29°56'03.4"N 77°45'57.3"E

29.934276, 77.765923

Directions Save Nearby Send to phone Share

Mohitpur Rd, Mohitpur, Uttarakhand 247661

WQM8+P97 Sirchandi, Uttarakhand

Nephron Pharmaceuticals Private Limited
DIRECTOR

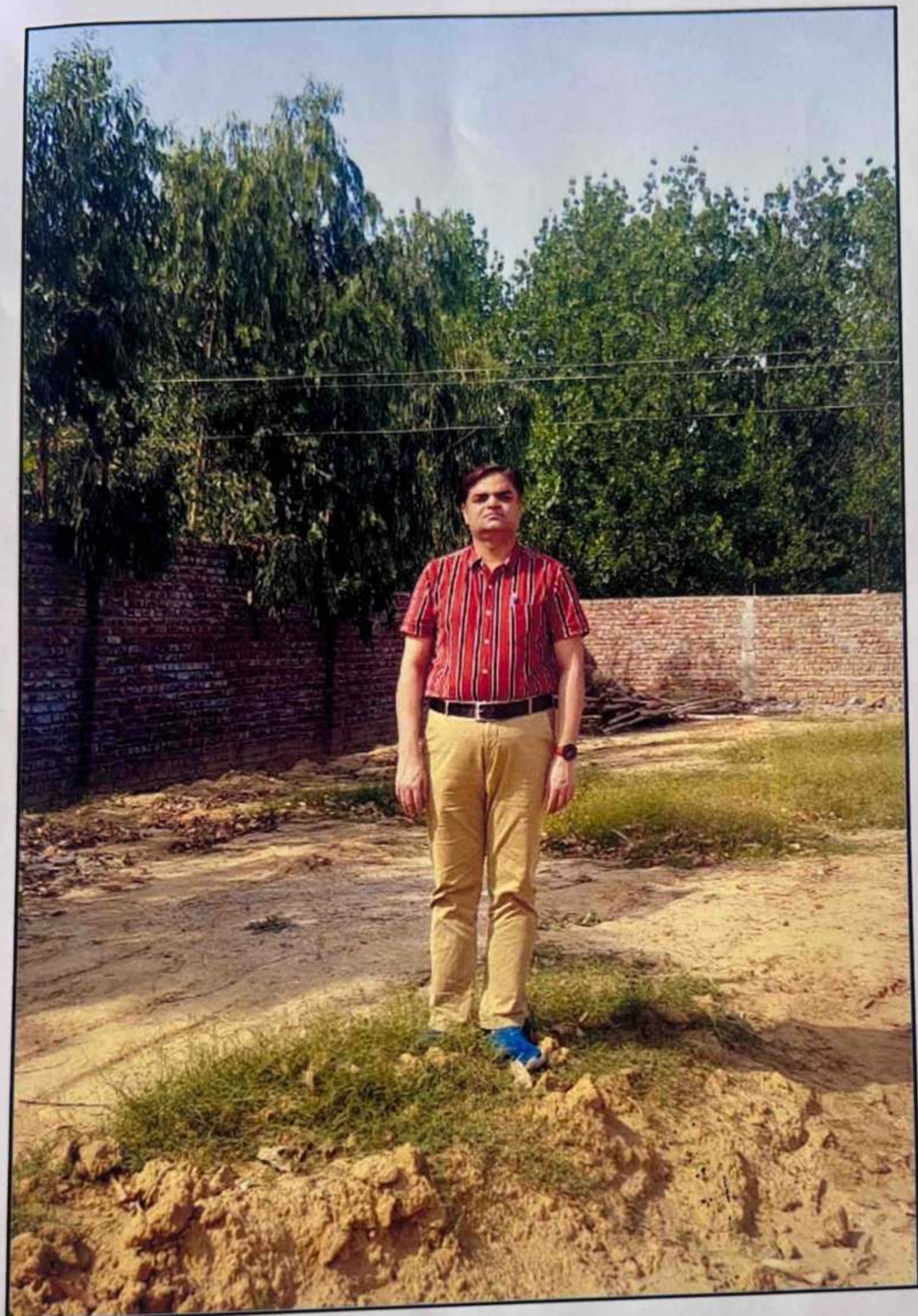

Nephron Pharmaceuticals Private Limited
Nephron
DIRECTOR

न्यायालय / कार्यालय कलेक्टर, हरिद्वार।

प्रा0प0संख्या– 118 / 2023

धारा 154(4)(3)(क)ज0वि0 एवं
भूमि व्यवस्था अधिनियम
मौजा–सिरचन्दी परगना व तहसील
भगवानपुर जिला हरिद्वार।

NEPHRON PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED बनाम सरकार

आदेश

NEPHRON PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED ख0नं0–102 प्लाट नं0–3 ग्राम कारीवाना कारनपुर परगना परवादून पोस्ट राजपुर देहरादून जिला देहरादून द्वारा डायरेक्टर श्री शादाब अंसारी पुत्र श्री नसीरूद्दीन अंसारी निवासी अयोध्या पूरम कॉलोनी टावर के पास माहीपुरा सहारनपुर तहसील व जिला सहारनपुर उ0प्र0 के ऑन लाईन आवेदन पत्र संख्या–154 / IND/COM/260522,जो ज0वि0 एंव भू0व्य0अधि0 की धारा–154(4)(3)(क) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जिस पर उप जिलाधिकारी,भगवानपुर की जॉच आख्या दिनांक 22.07.2022 तथा महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हरिद्वार की जॉच आख्या दिनांक 24.08.2022 के आधार पर निम्न तालिका में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि को केवल औद्योगिक प्रयोजन हेतु तालिका में वर्णित भू–स्वामी से क्रय किये जाने की अनुमति शासनादेश संख्या–356 / XVIII(II) 2018 / 02(05) / 2016 दिनांक 27.02.2018 तथा विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 09.01.2018 द्वारा प्रकाशित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम–1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश–2001) (संशोधन) अधिनियम–2017 (अधिनियम संख्या–09 / 2018) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड (उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0अधि0 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2001) (संशोधन) अधिनियम–2003 की धारा 154(4)(3)(क)(छः) एवं उत्तराखण्ड (उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0व्य0 अधि01952) (प्रथम संशोधन) नियमवाली 2004 के नियम 116ट में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिबन्धों / शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

आ.ला. सं0	भू–स्वामी का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा हेक्टेअर में	मौजा	क्रेता
IND/COM/260522	श्रीमती सिदरा जावेद पुत्री जावेद इकबाल पत्नी माजिद अली खान निवासी सिविल लाईन रूड़की परगना व तहसील रूड़की जिला हरिद्वार।	165 82	754 754	0.2461है0 0.4923है0 में से 0.1230है0	सिरचन्दी परगना व तहसील भगवानपुर जिला हरिद्वार।	NEPHRON PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED ख0नं0–102 प्लाट नं0–3 ग्राम कारीवाना कारनपुर परगना परवादून पोस्ट राजपुर देहरादून जिला देहरादून द्वारा डायरेक्टर श्री शादाब अंसारी पुत्र श्री नसीरूद्दीन अंसारी निवासी अयोध्या पूरम कॉलोनी टावर के पास माहीपुरा सहारनपुर तहसील व जिला सहारनपुर उ0प्र0।
			02किते	0.3691है0		

शर्तें / प्रतिबन्धः–

1– क्रेता धारा–129–ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिए अर्ह होगा।

2– क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणो जिन्हें लिखित रूप से अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा–167 के परिणाम लागू होंगे।

...2

Nephron Pharmaceuticals Private Limited DIRECTOR

3– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

5– यह अनुमति निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।

6– इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग केवल व्यवसाय प्रयोजन (फार्मा उत्पादों का उत्पादन) के लिये ही किया जायेगा।

7– व्यवसाय प्रयोजन(फार्मा उत्पादों का उत्पादन) निर्माण किये जाने सम्बन्धी मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8– इकाई को व्यवसाय प्रयोजन(फार्मा उत्पादों का उत्पादन)स्थापित किये जाने की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में तत्समय सम्बन्धित विभाग से नियमुनसार अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

9– यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमो का उल्लघंन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाये।

10– क्रय की जाने वाली भूमि का भू–उपयोग यदि व्यवसाय से भिन्न हो, तो उसे नियमानुसार व्यवसाय में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए व्यवसाय प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सीडा से स्वीकृत कराने के पश्चात ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11– इकाई को विनियमित क्षेत्र के नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12– इस भूमि पर व्यवसाय की स्थापना में भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों/सुविधाओं का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

13– आवेदक द्वारा स्थापित किये जाने वाले व्यवसाय में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत से अधिक का नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

14– इकाई को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तार हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

15– सम्बन्धित आवेदक द्वारा भू–उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से निमयानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेगें।

16– सम्बन्धित इकाई द्वारा प्रस्तावित योजना को प्रारम्भ करने से पूर्व राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन0जी0टी0) से शून्य आधारित (Zero based) अनापत्ति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

17– सम्बन्धित इकाई द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट) के अन्तर्गत जैविक व अजैविक पदार्थों का प्रबन्धन सुनिश्चित किया जायेगा।

...3

18- सम्बन्धित इकाई द्वारा जलोत्सारण (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) हेतु निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिए भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमाकंन कर लिया जाय।

20- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

21- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

22- क्रय की जा रही भूमि के विक्रय-विलेखों पर उक्त अनुमति में इंगित किये गये प्रयोजन के अनुसार ही स्टाम्प शुल्क अदा किया जायेगा।

23- उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तो का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन/जिला प्रशासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

सम्बन्धित उप जिलाधिकारी इस सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस अनुमति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति से ससमय अवगत करायेंगे।

(विनय शंकर पाण्डेय)
कलेक्टर/जिलाधिकारी
हरिद्वार।

संख्याः- 592 /DLRC/2023 दिनांकः-31-3- 2023

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2- सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीड़ा, 2-न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
7- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/उप निबन्धक,भगवानपुर।
8- NEPHRON PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED द्वारा डायरेक्टर श्री शादाब अंसारी पुत्र श्री नसीरूददीन अंसारी निवासी अयोध्या पूरम कॉलोनी टावर के पास माहीपुरा सहारनपुर तहसील व जिला सहारनपुर उ0प्र0।

कलेक्टर/जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

Nephron Pharmaceuticals Private Limited
DIRECTOR

Govt. of Uttarakhand

STATE/DISTRICT NODAL AGENCY
SINGLE WINDOW CLEARANCE SYSTEM
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

Under Sec (3) (4) (a) of the Uttarakhand Enterprise Single Window Facilitation and Clearance Act-2012
Toll free No. - 1800-270-1213 Website: - www.investuttarakhand.com Email Id: - mpr@doiuk.org

IN-PRINCIPLE PROJECT APPROVAL

Certificate No:02-7-CAFIP-7877958949458

Date of Issue: - 2022-08-18 16:04:14

M/S. (M/S NEPHRON PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED) has filed Common Application Form No. 49458 received Dt. 2022-08-18 16:04:14 expressing its intent to setup manufacturing/service enterprise as per following details:-

Activity of Enterprise	Type of Enterprise	Category of Enterprise
DISPENSING OF RAW MATERAL == FILLING OF VESSEL WITH PURIFIED WATER == ADD EXCIPIENTS FOR WAX == ADD ACTIVE MATERIAL == MIXING == COOLING OF PASTE == TRANSFER INTO STORAGE TANK == FILLING AND SEALING== LABELING AND PACKING = DISPATCH.	Manufacturing	Micro

District Empowered Committee has granted In- principle approval for establishment of enterprise in Uttarakhand.

Note: The enterprise is required to seek requisite clearance / licence / permit required under statutory obligations stipulated under the laws of central government / state government / court orders.

Various govt. departments/agencies are expected to provide all necessary support and facilitation in establishing the enterprise under sec (5) (1) (a).

You are also advised to register for benefits if applicable under new industrial development scheme of dipp, goi at http://dipp.nic.in/

For Uttarakhand State Government benefits please visit https://investuttarakhand.uk.gov.in/

Govt. of Uttarakhand

STATE/DISTRICT NODAL AGENCY
SINGLE WINDOW CLEARANCE SYSTEM
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND

Under Sec (3) (4) (a) of the Uttarakhand Enterprise Single Window Facilitation and Clearance Act-2012
Toll free No. - 1800-270-1213 Website: - www.investuttarakhand.com Email Id: - mpr@doiuk.org

Project is eligible for stamp duty exemption (50%) under Uttarakhand MSME Policy 2015. (Eligible area for stamp duty relaxation for this project is 3691 Sq. mtr.)

Empowered Authority,
District Nodal Agency,
District Industries Center,
Govt. of Uttarakhand,
(On behalf of the District level Single Window Clearance Committee)

गवाह- ..रशीद..... रशीद पुत्र श्री मौ0 यासीन निवासी जैन डिग्री कालेज रोड इलाहीपुरा जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश आधार कार्ड सं0 - 9627 4416 8018

गवाह- मौ0 शिराज........ मौ0 शिराज पुत्र श्री शमशाद अहमद निवासी ग्राम माहिपुरा, हबीबनगर देहरादून रोड सहारनपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश आधार कार्ड सं0 - 7372 9123 7849

दिनांक - 20.04.2023

गवाहो की शिनाख्त पर फोटो प्रमाणित एंव

ड्राफटिडबाई- श्री सुनील कुमार परालिया एडवोकेट भगवानपुर जिला हरिद्वार।

Sunil Kumar
Sunil Kumar Paralia
Bank Advocate
Reg No. MP 3515/03/U.K.22/2010
C No 9 Tehsil Bhagwanpur

Nephron Pharmaceuticals Private Limited
Nephron
DIRECTOR

बही संख्या 1 जिल्द 3,004 के पृष्ठ 141 से 178 पर क्रमाक 2917

पर आज दिनांक 25 Apr 2023 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,रुड़की,तृतीय
25 Apr 2023

उप निबंधक रजिस्ट्रार रुड़की III जिला हरिद्वार • उत्तराखण्ड •
सत्यमेव जयते